न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

मु0नं0 123 / 16

पीठासीन अधिकारी

ता0 रजू– 29.10.2016

जगदीश आर्य R.A.S.

राधाकिशन पुत्र मलूलाल, जाति मीना, निवासी टोडली, तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र रामखिलाड़ी
2. देवराज पुत्र मांगीलाल
3. भगवती पत्नी हजारी

} समस्त जाति मीना, निवासी टोडली तह0 टोडाभीम, जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :– श्री सुशील कुमार जिन्दल एडवोकेट – वादी

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, श्री हंसराज गुर्जर एडवोकेट – प्रतिवादीगण

वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 08.05.2017

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसके संक्षिप्त

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 187 रकबा 34 ऐयर, 197 रकबा 18 ऐयर, 235 रकबा 16 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 68 ऐयर स्थित ग्राम धौंसली तह0 टोडाभीम है। जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। उक्त आराजी को वादी ने उक्त आराजी के खातेदार धन्नो बाई पत्नी रामसहाय जाति मीणा, निवासी धौंसली हाल निवासी पुर्र पुलारी, तह0 रैणी जिला अलवर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 22.02.2016 को पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 01 में पृष्ठ सं0 149 क्रम सं0 2016000149 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 03 के पृष्ठ सं0 138 से 142 पर चस्पा कर उपपंजीयक टोडाभीम के यहां पंजीबद्ध कर गवाही गवाहान करावकर क्रेता वादी का मौके पर कब्जा करा दिया और विक्रेता को उक्त भूमि के विक्रय के एवज में 450000/- रूपये अदा कर दिये गये। उक्त विक्रय पत्र की जानकारी प्रतिवादीगण व ग्राम धौंसली के समस्त लोगो को थी। इस प्रकार उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को कोई संबंध नहीं है। ना ही था। वादी ने अपने वाद पत्र के मद नं0 02 में दर्ज किया कि प्रतिवादीगण लट्ठ बाज व भूमाफिया गिरोह के व्यक्ति है। जो गरीब व सीधे साधे व्यक्ति से रूपये ऐठने के लिये उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने व झूंठा विवाद करते रहते है। तथा दिनांक 02.08.2016 को जब वादी अपनी उक्त भूमि को टैक्टर से जुतवा रहा था तो प्रतिवादी नं0 01 अपने साथियों को लेकर आया और माँ बहिन की गालियाँ देते हुए हाथों में लाठी डन्डा लेकर मौके पर आया और भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी और वादी से 5 लाख रूपये उक्त भूमि की एवज में फिरौती के रूप में मांगा। जिस पर वादी ने न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध झगड़ा नहीं करने हेतु पाबन्दी का मुकदमा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) जाब्ता फौजदारी का प्रस्तुत किया।

Scanned by CamScanner

जिसमें प्रतिवादी नं0 01 रमेश व मुनीराम को न्यायालय द्वारा वादी से झगड़ा नहीं करने बाबत् पाबन्द किया गया। जिसके पश्चात् वादी अपनी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। घटना दिनांक 23.10.2018 वादी अपनी भूमि पर आगामी फसल के लिए ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। और पुख्ता बाउण्ड्री वाल करने हेतु नाप रहा था। तो प्रतिवादीगण नं0 1 अपने साथ प्रतिवादी नं0 02 व 03 को हाथों में लाठी डंडा लेकर वादी की भूमि पर आये वादी की भूमि को जोत रहे ट्रैक्टर वाले से जोत लगाने से मना कर दिया और वादी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी। वादी ने ग्राम दौलती के पंच पटेलों से भी प्रतिवादीगण को समझाया लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने। इसलिये वादी को यह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना पड़ा। अन्त में वादी ने अपने वाद पत्र में यह अनुतोष मांगा कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की भूमि खसरा नं0 187, 197, 235 स्थित ग्राम दौलती के संबंध में वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये और जवाब दावा पेश करने को समय चाहा लेकिन प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जान बूझकर जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श–1 पेश की तथा साक्ष्य में वादी राधाकिशन व स्वतन्त्र गवाह

Scanned by CamScanner

भगवान सहाय पुत्र रामजी, महेश पुत्र भवानी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपनी साक्ष्य बन्द कर एकतरफा बहस की गई जिसमें अधिवक्ता वादी द्वारा मौखिक बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। तथा पूर्व में भी प्रतिवादी नं0 01 व मुनीराम नाम के व्यक्ति को न्यायालय द्वारा पाबन्द किया गया जो वादी से रमेश व मुनीराम द्वारा राजीनामा करने के बावजूद पुनः अन्य प्रतिवादीगण के माध्यम से उक्त आराजी बाबत् परेशान करने व बेदखल करने की धमकी देने लगे है। और वादी को काश्त नहीं करने दे रहे है। और ना ही वादी को उक्त आराजी की सुरक्षा करने बाबत् बाउण्ड्री वॉल करने दे रहे है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श – 1 का अवलोकन किया गया। जिसमें पूर्व खातेदार धन्नोबाई पुत्री रामसहाय द्वारा वादी को विवादित भूमि ख0नं0 187, 197, 235 का सम्पूर्ण भाग का विक्रय किये जाने को नोट अंकित है। जिसमें वादी उक्त भूमि का खातेदार दर्ज हो गया। तथा मौखिक साक्ष्य में वादी ने अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा स्वतन्त्र गवाह ग्राम दौलती के है, का शपथ पत्र पेश किया जिनका अवलोकन किया गया। जिसमें वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व शपथ पत्र की ताईद स्वतंत्र गवाहों ने की। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाह जिन्होंने स्पष्ट अपने बयानों में कहा कि विवादित भूमि को वादी द्वारा खरीद किये जाने के पश्चात् वादी ने उक्त भूमि में फसल काश्त की तथा गवाहों ने कहा कि प्रतिवादीगण वादी को

Scanned by CamScanner

रुपये ऐंठने के लिये आये दिन भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी देते रहते है। जबकि उक्त भूमि से वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। वादी के अभिकथनों का प्रतिवादीगण को कई मौके मिलने के बावजूद भी खण्डन नहीं किया और ना ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया और प्रकरण में प्रतिवादीगण व उनके अभिभाषक द्वारा जवाब पेश करने से बचने के उद्देश्य से प्रकरण में जान बूझकर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। और वादी की एकतरफा से बहस सुनी जाकर हम उक्त प्रकरण में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 187 रकबा 37 ऐयर, 197 रकबा 18 ऐयर, 235 रकबा 16 ऐयर स्थित ग्राम दोवड़ी तह0 टोडाभीम के संबंध में वादी के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं व्यवधान पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें। ना ही वादी की उक्त आराजी को नाकाबिल काश्त बनावें। ना ही वादी को उक्त आराजी से ना तो बेदखल करे ना ही किसी अन्य से बेदखल करावें। वादी को शान्ति पूर्वक उक्त आराजी को काश्त करने देवें। वादी की उक्त आराजी की डोल मेढ नहीं तोड़े, ना ही वादी को अपनी आराजी की बाउन्ड्री वॉल करने से ना तो स्वयं रोके ना ही किसी अन्य से रूकवावें। वादी की उक्त आराजी में

Scanned by CamScanner

ऐसा कोई कार्य नही करे। जिससे वादी एवं वादी की आराजी पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। वादी की उक्त आराजी मे ऐसा कोई कार्य नही करें। जिससे वादी एवं वादी की आराजी पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। वादी को अपनी उक्त आराजी को उपयोग उपभोग परिवर्तत संवर्धन करने से नही रोके और वादी को शान्तिपूर्वक काश्त व उपयोग करने देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम

Scanned by CamScanner